भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *309

10.08.2026 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य-निष्पादन का स्वतंत्र मूल्यांकन

***309. एडवोकेट प्रिया सरोज :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने शहरों में वायु की गुणवत्ता ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के स्तर को लगातार पार किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में निर्धारित स्तर को हासिल नहीं करने वाले शहरों में कणीकीय पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर) की बहुलता को कम करने में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की प्रभावकारिता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई और उपयोग में लाई गई धनराशि का शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य-निष्पादन का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शहरों में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्रोत-आधारित उत्सर्जन नियंत्रण, वास्तविक समय में निगरानी और अंतर-एजेंसी समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य-निष्पादन का स्वतंत्र मूल्यांकन' के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य एडवोकेट प्रिया सरोज द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *309 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ) : शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का समाधान करने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्तर पर स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और वायु गुणवत्ता मानकों को पूर्ण न करने वाले 130 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) प्रारंभ किया गया।

इसके अलावा, वायु प्रदूषण में योगदान करने वाले विभिन्न कारकों की पहचान करने और एनसीएपी के तहत शहरी कार्य योजनाओं में वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 119 शहरों में स्रोत निर्धारण (एसए) अध्ययन किए गए हैं।

एनसीएपी के तहत सभी शहरों में वायु गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए शहरी कार्य योजनाएं (सीएपी) तैयार की गई हैं, जिनमें अल्पकालिक के साथ-साथ दीर्घकालिक उपाय जैसे सड़क को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पक्का करना, हरियाली बढ़ाना, खुले क्षेत्रों को हरा-भरा बनाना, यातायात संबंधित जाम को कम करने की योजना, मियावाकी वृक्षारोपण सहित शहरों में छोटे-छोटे वन क्षेत्र का विकास, भीड़भाड़ कम करने के लिए यातायात जंक्शन में सुधार, श्मशान घाटों को स्वच्छ ईंधन आधारित प्रणाली में परिवर्तित करना, ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करना शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं जिनमें वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य विशिष्ट योजनाएं, नीतियां और लक्षित उपाय शामिल हैं।

अंतर-एजेंसी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य एवं शहरी स्तर पर विभिन्न समितियां गठित की गई हैं जो विभिन्न हितधारक एजेंसियों, विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा तैयार कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी प्रगति के समन्वय, निगरानी एवं मूल्यांकन का कार्य करती हैं।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य विकास प्राधिकरणों/एजेंसियों की योजनाओं और कार्यक्रमों के अभिसरण के माध्यम से राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए समग्र मार्गदर्शन और समन्वय प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया है।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के अंतर्गत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) का गठन किया गया है जिसे संबंधित क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के संरक्षण एवं सुधार हेतु उपाय करने तथा संबंधित एजेंसियों को निर्देश जारी करने के लिए सांविधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। सीएक्यूएम ने अब तक एनसीआर राज्यों/जीएनसीटीडी की सरकारों और संबंधित

एजेंसियों को 101 सांविधिक निर्देश और 17 परामर्शी/कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, तथा समय-समय पर प्रगति समीक्षा और अनुवर्ती आदेशों और निर्देशों के माध्यम से उनके कार्यान्वयन की सख्ती से निगरानी की जाती है।

देश के 292 शहरों में रियल-टाइम आधार पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का प्रसार किया गया है। आम जनता तक रियल-टाइम में वायु गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों तथा प्रति घंटे के वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी एवं जानकारी पहुँचाने के लिए केंद्रीकृत वायु गुणवत्ता पोर्टल एवं 'समीर नामक मोबाइल ऐप कार्य कर रहा है।

निगरानी तंत्र को मजबूत करने और स्व-नियामक तंत्र के माध्यम से प्रभावी अनुपालन के लिए, सीपीसीबी ने अत्यधिक प्रदूषित उद्योगों की सभी 17 श्रेणियों को ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निर्देश दिया।

एनसीएपी के तहत, वायु गुणवत्ता में सुधार के उपायों को करने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक 130 शहरों को 16423.56 करोड़ रुपये का प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान एनसीएपी के अन्तर्गत 130 शहरों को जारी और उपयोग की गई निधियों का शहर-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में प्रदान किया गया है। एनसीएपी के तहत केंद्रित कार्यों से उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2025-26 में 108 शहरों में पीएम 10 सांद्रता में कमी दर्ज की, 72 शहरों ने 20% से अधिक की कमी और 26 शहरों ने 40% से अधिक की कमी दर्ज की। वित्त वर्ष 2025-26 में 14 शहरों ने राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा किया, जबकि वर्ष 2017-18 में केवल 6 शहरों ने इसे पूरा किया था।

एनसीएपी के तहत पिछले तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26) के दौरान लगातार पीएम 10 (60 माइक्रोग्राम/घनमीटर) के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को लगातार पार करने वाले शहरों की उत्तर प्रदेश के शहरों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक-II** में हैं।

प्रदूषण नियंत्रण योजना, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) भी एक प्रमुख घटक है, का स्वतंत्र मूल्यांकन दिसंबर, 2020 तथा अगस्त, 2025 में किया गया। नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, एनसीएपी का उद्देश्य आधारभूत अवसंरचना, स्थानीय कार्य योजनाओं तथा संस्थागत तंत्र के माध्यम से वायु गुणवत्ता के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम ने भारत की वायु गुणवत्ता प्रबंधन रूपरेखा को सुदृढ़ करने तथा गुणवत्ता मानकों को पूर्ण न करने वाले विभिन्न शहरों में परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति प्रदर्शित की है।

अनुलग्नक-I

वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक एनसीएपी के तहत 130 शहरों में जारी और उपयोग की गई निधियों संबंधी ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	शहर	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि**
1	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	10.17	10.36
2		चित्तूर	4.59	5.17
3		एलुरु	2.39	4.93
4		गुंटूर	14.50	19.43
5		कडपा	11.11	10.31
6		कुरनूल	10.53	12.08
7		नेल्लोर	22.64	27.95
8		ओंगोल	7.91	9.83
9		राजमुंदरी	4.73	7.81
10		श्रीकाकुलम	3.31	2.76
11		विजयनगरम	4.09	5.65
12		विजयवाड़ा यूए	63.65	79.83
13		विशाखापत्तनम यूए	82.72	71.84
14	असम	गुवाहाटी	82.67	45.38
15		नगांव	16.86	8.60
16		नलबाड़ी	10.15	6.86
17		शिवसागर	10.50	4.54
18		सिलचर	15.02	9.83
19	बिहार	गया	25.93	8.25
20		मुजफ्फरपुर	23.89	10.38
21		पटना यूए	30.39	161.85
22	चंडीगढ़	चंडीगढ़	22.00	18.76
23	छत्तीसगढ	कोरबा	7.47	6.16
24		दुर्ग भिलाईनगर यूए	46.50	104.88
25		रायपुर यूए	54.22	70.82
26	दिल्ली	दिल्ली	47.61	19.45
27	गुजरात	अहमदाबाद यूए	384.26	462.59
28		राजकोट यूए	75.19	101.94
29		सूरत यूए	192.60	127.25
30		वडोदरा यूए	86.33	67.67
31	हरियाणा	फरीदाबाद यूए	65.44	61.71

** निधि के उपयोग में पिछले वित्तीय वर्ष में जारी की गई निधियों का उपयोग भी शामिल है।

क्र. सं.	राज्य	शहर	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि**
32	हिमाचल प्रदेश	बद्दी	1.72	1.46
33		दमताल	1.56	0.97
34		काला अंब	1.73	1.18
35		नालागढ़	1.14	1.26
36		पांवटा साहिब	1.92	1.39
37		परवाणू	1.56	0.90
38		सुंदर नगर	1.79	1.31
39	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	57.08	32.62
40		श्रीनगर	113.16	70.65
41	झारखंड	धनबाद यूए	147.06	19.94
42		जमशेदपुर यूए	0.00*	23.03
43		रांची यूए	68.62	39.95
44	कर्नाटक	देवनागेरे	9.57	11.54
45		गुलबर्गा	28.83	17.35
46		हुबली -धारवाड़	17.52	15.69
47		ब्रुहत बैंगलोर यूए	0.00*	301.64
48	मध्य प्रदेश	देवास	18.06	7.48
49		सागर	19.60	16.53
50		उज्जैन	32.97	12.19
51		भोपाल यूए	102.80	11.37
52		ग्वालियर यूए	35.15	39.86
53		इंदौर यूए	120.64	57.30
54		जबलपुर यूए	105.56	83.64
55	महाराष्ट्र	अकोला	9.78	10.31
56		अमरावती	32.88	33.91
57		चंद्रपुर	14.04	7.87
58		जलगांव	5.08	6.16
59		जलना	5.76	8.45
60		कोल्हापुर	20.15	23.53
61		लातूर	20.88	19.84
62		सांगली	6.13	8.55
63		सोलापुर	40.06	45.52
64		औरंगाबाद यूए	35.90	29.15
65,66,67,68,69		ग्रेटर मुंबई यूए नवी मुंबई (जीएम) यूए ठाणे (जीएम) यूए उल्हासनगर (जीएम) यूए बदलापुर (जीएम) यूए	657.32	266.73

** निधि के उपयोग में पिछले वित्तीय वर्ष में जारी की गई निधियों का उपयोग भी शामिल है।

क्र. सं.	राज्य	शहर	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि**
70	महाराष्ट्र	नागपुर यूए	72.71	73.38
71		नासिक यूए	40.88	74.11
72		पुणे यूए	147.15	229.69
73		वसई- विरार सिटी यूए	30.12	59.37
74	मेघालय	बर्निहाट	9.64	5.19
75	नागालैंड	दीमापुर	9.21	8.20
76		कोहिमा	10.92	9.89
77	ओडिशा	अंगुल	2.47	0.72
78		बालासोर	6.71	3.31
79		भुवनेश्वर	30.11	18.29
80		कटक	23.47	17.58
81		कलिंग नगर	3.24	4.54
82		राउरकेला	27.32	19.16
83		तालचेर	2.29	2.23
84	पंजाब	डेरा बस्सी	1.25	0.66
85		गोबिंदगढ़	3.32	4.40
86		जालंधर	74.99	42.38
87		खन्ना	6.22	4.91
88		नया नांगल	4.34	2.49
89		पठानकोट/ डेरा बाबा नानक	9.69	4.27
90		पटियाला	28.90	20.94
91		अमृतसर यूए	57.64	87.90
92		लुधियाना यूए	43.98	56.36
93	राजस्थान	अलवर	23.57	23.04
94		उदयपुर	18.16	15.21
95		जयपुर यूए	92.35	190.68
96		जोधपुर यूए	104.52	78.09
97		कोटा यूए	61.60	43.57
98	तमिलनाडु	तूतीकोरिन / थूथुकुडी	12.02	13.85
99		चेन्नई यूए	226.23	21.73
100		मदुरै यूए	32.95	46.14
101		त्रिची यूए	39.27	59.24
102	तेलंगाना	नलगोंडा	5.73	5.19
103		संगारेड्डी	2.03	1.76
104		हैदराबाद (HY) UA	272.40	190.30
** निधि के उपयोग में पिछले वित्तीय वर्ष में जारी की गई निधियों का उपयोग भी शामिल है।				

क्र. सं.	राज्य	शहर	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि**
105	उत्तर प्रदेश	अनपरा	1.41	1.47
106		बरेली	140.24	93.91
107		फिरोजाबाद	81.61	75.33
108		गजरौला	5.21	5.52
109		गोरखपुर	112.80	86.37
110		झांसी	32.70	23.97
111		खुर्जा	24.52	15.55
112		मुरादाबाद	141.15	142.23
113		नोएडा	62.29	34.32
114		रायबरेली	21.59	17.42
115		आगरा यूए	203.96	198.31
116		इलाहाबाद यूए	119.90	134.70
117		गाजियाबाद यूए	139.33	181.79
118		कानपुर यूए	328.54	252.35
119		लखनऊ यूए	104.24	254.34
120		मेरठ यूए	48.80	137.21
121		वाराणसी यूए	198.22	291.11
122	उत्तराखंड	देहरादून	64.81	72.86
123		काशीपुर	7.70	7.51
124		ऋषिकेश	9.21	8.53
125	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर	63.19	41.85
126		हल्दिया	8.62	5.64
127		आसनसोल यूए	27.20	26.65
128		कोलकाता (के) यूए	457.55	480.46
129		हावड़ा (के) यूए		
130		बैरकपुर (के) यूए		
कुल			**7117.59**	**6822.31**

** निधि के उपयोग में पिछले वित्तीय वर्ष में जारी की गई निधियों का उपयोग भी शामिल है।

अनुलग्नक-।।

वित्तीय वर्ष 2023-24, वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एनसीएपी के अन्तर्गत पीएम$_{10}$ (60 µg/m^3) के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पार करने वाले शहरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या।

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**शहरों की संख्या**
1.	**आंध्र प्रदेश**	8
2.	**असम**	3
3.	**बिहार**	3
4.	**चंडीगढ़**	1
5.	**छत्तीसगढ**	2
6.	**दिल्ली**	1
7.	**गुजरात**	4
8.	**हरियाणा**	1
9.	**हिमाचल प्रदेश**	4
10.	**जम्मू और कश्मीर**	2
11.	**झारखंड**	3
12.	**कर्नाटक**	2
13.	**मध्य प्रदेश**	7
14.	**महाराष्ट्र**	19
15.	**मेघालय**	1
16.	**नागालैंड**	1
17.	**ओडिशा**	7
18.	**पंजाब**	7
19.	**राजस्थान**	5
20.	**तेलंगाना**	2
21.	**उत्तर प्रदेश**	16
22.	**उत्तराखंड**	3
23.	**पश्चिम बंगाल**	6
